न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 01/2025

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन अधिकारी, सिरोही जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

श्री रतनलाल पुत्र श्री भूबाराम जाति माली निवासी मैन बाजार पिण्डवाडा जिला सिरोही हाल प्रो. लक्ष्मी रेस्टोरेन्ट, मैन बाजार पिण्डवाडा जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरोही।
2. अधिवक्ता श्री सूर्यवीरसिंह आढ़ा।

निर्णय **दिनांक 15.07.2025**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 30.11.2024 को श्री सहीराम, प्रवर्तन अधिकारी सिरोही द्वारा लक्ष्मी रेस्टोरेन्ट, मैन बाजार, पिण्डवाडा जिला सिरोही की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर वहां पर एक घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडा हुआ पाया गया। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया था।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सूर्यवीरसिंह आढ़ा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जबाव प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। अतः प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सिरोही एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाव का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 30.11.2024 को श्री सहीराम, प्रवर्तन अधिकारी सिरोही द्वारा लक्ष्मी रेस्टोरेन्ट, मैन बाजार, पिण्डवाडा जिला सिरोही की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर वहां पर एक घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडा हुआ पाया गया, जिनका उपयोग दुकान पर नाश्ता बनाने (व्यावसायिक) का कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ करने से अप्रार्थी द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध होने से निरीक्षण दल द्वारा उक्त एक घरेलू गैस

जिला कलेक्टर, सिरोही

सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया गया है। अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर एवं उपकरण को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सूर्यवीर आढ़ा द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि श्री मोहम्मद कयूम पुत्र श्री सुलेमान भाई छीपा निवासी उदयपुर रोड पिण्डवाडा द्वारा अपने घरेलू गैस सिलेण्डर भरने के लिए लक्ष्मी रेस्टोरेन्ट, मैन बाजार पिण्डवाडा पर रखकर श्री मोहम्मद कयूम किसी कार्य से पिण्डवाडा से बाहर गया था तथा उक्त एच.पी. गैस सिलेण्डर की पासबुक अप्रार्थी के पास रखकर गोदाम से लाने के लिए हिदायत दी थी। अप्रार्थी व्यस्त होने के कारण वहां नहीं जा सका था। एक गैस टंकी खाली थी तो अप्रार्थी द्वारा गैस टंकी को गैस चूल्हे पर कोक जोडकर दुकान पर फोटो खींचा और झूठी कार्यवाही करवाई है तथा जो गैस रखे थे वो श्री मोहम्मद कयूम पुत्र श्री सुलेमान भाई छीपा निवासी उदयपुर रोड पिण्डवाडा के थे जो पूर्व में परिचित व्यक्ति होने से मेरी दुकान पर खाली गैस टंकी रखी थी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा जब्त किए गए सिलेण्डरों को पुनः दिलवाए जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण में उभय पक्ष की सुनी गई बहस एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं न्यायालय पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा एक 14.2 किग्रा. घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय में किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है। मौके पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान की जांच करने पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग प्रतिष्ठान पर नाश्ता इत्यादि बनाने का कार्य व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रतिष्ठान पर नाश्ता इत्यादि बनाने का कार्य किया जाना वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रैणी में आता है। अप्रार्थी से उक्त सिलेण्डरों के बारे में पूछा तो अप्रार्थी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाने से निरीक्षण दल द्वारा उक्त सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया गया है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग घरेलू प्रयोजनार्थ ही किया जाता है, परन्तु उक्त दिवस को श्री मोहम्मद कयूम पुत्र श्री सुलेमान भाई छीपा निवासी उदयपुर रोड पिण्डवाडा द्वारा अपने घरेलू गैस सिलेण्डर भरने के लिए लक्ष्मी रेस्टोरेन्ट, मैन बाजार पिण्डवाडा पर रखकर श्री मोहम्मद कयूम किसी कार्य से पिण्डवाडा से बाहर गया था तथा उक्त एच.पी. गैस सिलेण्डर की पासबुक अप्रार्थी के पास रखकर गोदाम से लाने के लिए हिदायत देकर रखा हुआ था, जिसे प्रार्थी द्वारा उसे कब्जे सरकार ले लिया गया। इस सम्बन्ध में मौके की फोटो के अवलोकन से यह पाया जाता है कि कब्जे सरकार लिया गया सिलेण्डर जिस भट्टी से जुडा हुआ था, उस भट्टी पर बढी कढाई में नाश्ता इत्यादि बनाने का कार्य किया जा रहा था एवं अप्राथी द्वारा परिसर को नाश्ता इत्यादि बनाने के उपयोग में लिया जा रहा था, जो कि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रैणी में आता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि दुकान में रखी हुई सामग्री भी व्यावसायिक प्रयोजनार्थ ही काम में ली जा रही थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिए गए गैस सिलेण्डर की गैस डायरी भी प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह साबित हो कि उक्त घरेलू सिलेण्डर श्री मोहम्मद कयूम पुत्र श्री सुलेमान भाई छीपा का था। चूंकि कब्जे सरकार लिया गया सिलेण्डर घरेलू उपयोग में लिया जाता है परन्तु लक्ष्मी रेस्टोरेन्ट, मैन बाजार,

जिला कलेक्टर, सिरोही

पिण्डवाडा जिला सिरोही के पास घरेलू गैस सिलेण्डर पाए जाना एवं उस पर वक्त निरीक्षण नाश्ता बनाने का कार्य किए जाने से स्पष्ट है कि उक्त गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ही किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अनाधिकृत रूप से किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये एक गैस सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए एक गैस सिलेण्डर में भरी हुई गैस को नियमानुसार निर्धारित दर पर बेचान कर खाली सिलेण्डर सम्बन्धित गैस कम्पनी को सुपुर्द कर प्राप्त राशि राजकोष के उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही